

श्री मधु लिमये : ध्यान आकर्षण नोटिस दिये हैं लेकिन एक को भी स्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री मधु लिमये : क्या इस तरीके से लोक सभा चलेगी ?

12.33 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE DUTIES EXPORT DRAWBACK (GENERAL) NINETY-FOURTH AMENDMENT RULES, 1966, ETC.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : On behalf of Shri B. R. Bhagat, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Ninety-fourth Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1689 in Gazette of India, dated the 5th November, 1966, under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library. See No. LT-7335/66].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 1690 published in Gazette of India, dated the 5th November, 1966, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT-7336/66].

INDIAN AIRCRAFT (PUBLIC HEALTH) AMENDMENT RULES, 1966

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : On behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to lay on the Table a copy of the Indian Aircraft (Public Health) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. S.O. 2741 in Gazette of India, dated the 17th September, 1966, under section 14A of the Aircraft Act, 1934. [Placed in Library. See No. LT-7337/66].

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से नहीं सुन सकता। Mr. Maurya, I got your communication. चिट्ठी मुझे आपकी मिली है और मैंने उसे होम मिनिस्टर के पास भेजा है।

श्री मौर्य : जब तक चिट्ठी का जवाब आयेगा यह मुझे जेल में भेज देंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कि आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम ने तो सोचा था कि चव्हाण साहब कुछ अच्छा करेंगे लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया . .

Mr. Speaker: He will sit down. He will resume his seat.

श्री मौर्य : मेरी बात सुन लीजिये। मेरी पत्नी की बेइज्जती की गई है। मेरे घर की तलाशी ली गई तो वह कैसे ली गई और क्यों ली गई ?

अध्यक्ष महोदय : आप अब बैठ जायें।

श्री मौर्य : आप का हुक्म सिर माथे पर यह लीजिये मैं बैठ जाता हूँ।

Mr. Speaker: I have received complaints from three of the hon. Members that they were harassed during the night and searches were made. They have written to me that protection should be provided. (Interruptions) If I say anything, then I am confronted with this insult—I am giving you 'Upadesh'. If I have to say a few words, I am not allowed to say those.

एक माननीय सदस्य : जब आप के लिए ऐसा कहा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : कल कहा गया था कि मैं उपदेश देता हूँ ।

बी.सं. मो० बनर्जी (कानपुर) : आप आवेश में मत आइये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ माननीय सदस्यों से इसकी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें हैरत किया जा रहा है । मैंने उसे होम मिनिस्टर साहब के पास भेजा है । मुझे उनसे कुछ पता ले लेने दीजिये कि क्या बात है । मैं जो मेम्बरों की शिकायत है उसके लिए कोई वक्त रख दूंगा और उनको बोलने का मौका भी दे दूंगा लेकिन इस तरीके से हाउस की कार्यवाही को माननीय सदस्य इंटरप्ट न करें ।

श्री मौर्य : किसी की पत्नी की बेइज्जती हो

अध्यक्ष महोदय : मौर्य साहब अभी धीरज रखें मैं आज ही जवाब देने की उनसे कोशिश करूंगा ।

श्री मौर्य : किसी की पत्नी की इस तरह से बेइज्जती हो कौन ऐसा अपमान बर्दाश्त कर सकेगा ? मैं गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस हैसियत से पुलिस को भेजा, किस हैसियत से मेरे मकान की तलाशी ली गई, किस तरीके से मेरे यहां पुलिस घर में घुस गयी और मेरी पत्नी की बेइज्जती की ? कैसे यह बात हुई ? रिपब्लिकन पार्टी एक पुराप्रमन पार्टी है । मैं और मेरी पार्टी हिंसा में यकीन नहीं करते लेकिन अगर इस तरीके से हम को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्होंने स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ । मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस तरह से क्यों किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप की शिकायत उनके पास जवाब के लिए भेज दी है आप अभी धैर्य रखें ।

श्री मौर्य : श्रीमन्, होम मिनिस्टर साहब यहां इस समय हाउस में मौजूद हैं, बैठे हुए सब सुन रहे हैं वह अभी क्यों नहीं मुझे जवाब दे देते ? He should be asked. What is he doing?

अध्यक्ष महोदय : इस तरीकेसे आप नहीं पूछ सकते हैं ।

12.37 hrs.

ARREST OF MEMBERS

(Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Ram Sewak Yadav)

Mr. Speaker : I have to inform the House that I have received the following communication dated the 16th November, 1966 from the Superintendent, Central Jail, New Delhi:—

"I have the honour to state that Dr. Ram Manohar Lohia, Member Lok Sabha, was admitted in this Jail on the night of the 15th/16th November, 1966, under sections 107/150, Criminal Procedure Code, by the court of the Sub-Divisional Magistrate, New Delhi."

I have also received the following further communication, dated the 17th November, 1966 from the Sub-Divisional Magistrate, New Delhi:—

"In continuation of my letter to you dated the 16th November, 1966 intimating the arrest of Dr. Ram Manohar Lohia, Member, Lok Sabha, under section 107, Criminal Procedure Code, I beg to inform you that soon after the arrest the hon. Member was produced before me and on his failure to furnish the security he was remanded to judicial custody till the 28th November, 1966 and thereafter was lodged in Tihar Jail, New Delhi. I very much regret that in my earnestness and respect for the House, I immediately took action to intimate you about the arrest of the Honourable Member but inadvertently I omitted to mention the fact of the detention in Tihar Jail and also the date of his detention,